39

(48)

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय
बल्लभ भवन, भोपाल–462002

क्र. एफ–52/1/10/यो/19-49 भोपाल, दिनांक 03.01.2011
4

प्रति,

समस्त मुख्य अभियन्ता
समस्त अधीक्षण यंत्री,
समस्त कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग,
मध्यप्रदेश।

विषय :– अनुबंध की कंडिका 14 के अन्तर्गत निर्णय लिये जाने बावत्।

****

लोक निर्माण विभाग में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत चल रहे कार्यों की समीक्षा के दौरान यह तथ्य जानकारी में आया है कि कतिपय प्रकरणों में कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में विभाग के विभिन्न अधिकारियों में जिसमें कार्यपालन यंत्री, अधीक्षण यंत्री एवं मुख्य अभियन्ता हैं ने अनुबध को कंडिका 14 के अन्तर्गत बन्द करने का निर्णय लिया है जिसके कारण एक ओर योजना पूर्ण न होने से लोक सुविधा उपलब्ध न करा पाने के कारण शासन की छवि प्रभावित हो रही है दूसरी ओर भविष्य में अपूर्ण छोड़े हुए कार्य को पूर्ण कराने में अतिरिक्त वित्तीय भार शासन को वहन करना पड़ रहा है।

इस स्थिति की समीक्षा उपरान्त निर्णय लिया गया है कि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों के अनुबंधों को कंडिका 14 के अन्तर्गत बन्द करने की प्रथा को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जावे। यदि अपरिहार्य स्थिति में शासन हित में अन्य कोई विकल्प शेष न होने पर किसी अनुबंध को कंडिका 14 के अन्तर्गत बन्द कराया जाना है तो ऐसे प्रकरण में पूर्ण विवरण के साथ इसका प्रस्ताव उचित माध्यम से शासन को प्रेषित किया जावे तथा शासन के निर्णय उपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जावे।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। जिसका कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Gprakash 3/1/2011
(चन्द्र प्रकाश अग्रवाल)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग

पृ. क्र. एफ–52/1/10/यो/19-50 भोपाल, दिनांक 03.01.2011
4

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग भोपाल।
2. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग मध्यप्रदेश भोपाल।

Gprakash 3/1/2011
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग